

कार्यालय कलेक्टर (जिला पंचायत) राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ विज्ञापन

क्रमांक / 1435 / जिपं / IWMP / भर्ती / 2011-12

राजनांदगांव, दिनांक 14 / 05 / 2012

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (SLNA)के अंतर्गत जिले में एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम परियोजना अंतर्गत सचिव, की नियुक्ति उनके सम्मुख दर्शाये माईको वाटरशेड अनुसार एक वर्ष की संविदा (निश्चित वेतन पर) की जानी है। नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 05/06/2012 को सायं 05:30 बजे तक वांछित प्रमाण पत्रो सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है -

क	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता
1	सचिव माइकोवाटरशेड कमेटी	47	2500/- एकमुश्त	12वीं पास। माईको वाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी एवं जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

क्र.	वर्ग	मुक्त	महिला	निःशक्त	भूतपूर्व सैनिक	कुल
1	अनारक्षित	12	6	1	2	21
2	अन्य पिछडा वर्ग	3	2	0	1	6
3	अनुसूचित जाति	2	2	1	0	5
3	अनुसूचित जनजाति	9	5	0	1	15
	योग—	26	15	2	4	47

आयु—सीमा :-

दिनांक 01 मार्च 2012 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। महिला एवं विकलांगों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय-समय पर आयु-सीमा में प्रदान की गई सभी प्रकार की लागू होगी।

नियम व शर्तें :-

- छ.ग.शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भू.पू.सैनिकों के लिये उक्त रिक्त पदों में सम-स्तर आरक्षण दिया जावेगा।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ-9-1/2004/1/3, दिनांक 28.07.2004 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा नियुक्ति समान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा अवधि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है।

10. चयन प्रक्रिया –

विज्ञापित पद के लिए आवेदक का चयन निम्नानुसार निर्धारित अंक योजना के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देतु हुए –85 अंक, कार्य का अनुभव– न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक के लिए– 05 अंक, 05 वर्ष तक का अनुभव के लिए–10 अंक, 05 वर्ष से अधिक का अनुभव–15 अंक।

11. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
12. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
13. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।
14. लिफाफे के उपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के उपर प्रेषक के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 02 लिफाफा भी संलग्न करें।
15. आवेदक का आवेदन दिनांक 05.06.2012 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला पंचायत, कलेक्टोरेट परिसर राजनांदगांव के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 05.06.2012 के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ऐसे आवेदन अमान्य समझे जायेंगे। आवेदन पत्र के फटने, गुमने एवं विलंब से प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
16. नियोक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा।
17. चयनित उम्मीदवार जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
18. किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

सही/–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

11. स्थायी पता –

12. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल में सेवारत है तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें) –

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक
1	2	3
	से
		(कुल अवधि)

13. अनुभव :-
संस्था का नाम

पद का नाम

अनुभव की अवधि

अनुभव का कार्यक्षेत्र

(नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र एवं नियुक्ति आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. अभ्यर्थी का घोषणा-पत्र –

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त फार्म में बिन्दु क्रमांक 01 से 13 तक की दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काषित किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गए नियमों के अनुसार मुझे के पद पर आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की, सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान :-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :-

नाम –

नोट- विज्ञापन प्रकाशन दिनांक के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र ही संलग्न करें।